राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 28.3.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.3.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए।

(समस्त योजना प्रभारी)

2. सांसद आदर्श ग्राम योजना /मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट आपडेट करने से अवगत कराया गया तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एमपी लैड योजना में 169 कार्यो एवं बीएडीपी योजना में प्रत्येक जिले से 6–7 कार्यो की सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही करें।

(सं.शा.सचिव. प्रशासन)

3. श्री दीपन अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय से विजिलैंस का कार्य तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में वाटरसैड के पुराने रिकार्ड के संबंध में बैठक आयोजित की जाए, जिसमें आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त वाटरसैड को आमंत्रित किया जाए।

(सं.शा.सचिव. प्रशासन)

5. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट पंचायतीराज विभाग द्वारा दे दी गयी है। प्रगति की समीक्षा पंचायतीराज विभाग से की जाकर अवगत करायें।

(सं.शा.सचिव,प्रशा.)

6. आवास योजना में 85162 लक्ष्य के विरूद्ध 82499 स्वीकृतियॉ तथा 83824 एफटीओ साईन हुए है।
   - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरूद्ध 5214 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2750 की स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम किश्त लगभग 1200 रिलीज की गई है।
   - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर एक सप्ताह में जिलों को अवगत करायें। लॉटरी की प्रक्रिया पुनः की जाए।
   - आवास हेतु सैक 2011 का डेटा उपयोग हेतु दिनांक 29.3.2016 को बैठक रखे जाने से अवगतक कराया गया है।
   - आवास सहायकों को मोबाईल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु पंचायत समिति का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16.3.2016 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंन्स में जिलों को अवगत करा दिया गया था। अलग से पत्र द्वारा भी जिलों को निर्देशित करावें।

- जिला बाडमेर में पुराने आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु जिले को निर्देशित करें।
- अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए।

(एसई,आईएवाई)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 196 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।
   1. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंन्स वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को दि0 22.3.2016 तक अवगत कराया जाए।
   2. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराया जाए।
   3. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यो की बुक एक सप्ताह में तैयारी कर छपवाई जाए। इस कार्य के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है।

(पीडी,एसएपी–I)

8. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में राज्य को 50 करोड रूपये एसएजीवाई/ एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिन जिलों द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गयी है उनसे राशि अन्य जिलों को हस्तानान्तरित की जाए ताकि 31 मार्च 2016 तक राशि व्यय हो सके। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्त विभाग से राशि की मांग की जाए। आगामी वर्ष में योजना में उपयोग के संबंध में सलाह हेतु परियोजना निदेशक, मोएवं मू0, एसएपी द्वितीय, अधीक्षण अभियन्ता–आईएवाई, एक्सईएन श्री योजना आज ही बैठक रखी जाए।

(पीडी, एमएण्डई/एफए, ईजीएस)

9. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति समीक्षा। आरएसएलडीसी के पास लगभग 4 करोड रूपये उपलब्ध है, की समीक्षा।
   - वर्ष 2016–17 का प्लान अनुमोदित हो गया है जिसे भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।

(पीडी एसएपी)

10. विधान सभा के 96 प्रश्न लम्बित है। इसकी स्थिति अनुभागवार संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन उपलब्ध करायेंगे। (सं0शा0सचिव, प्रशासन)

11. ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले कार्यो का वार्षिक प्लान तैयार करने हेतु जिलों को निर्देशित करें। उक्त वार्षिक कार्य योजना दि0 15 से 24 अप्रेल 2016 के मध्य होने वाली ग्राम सभाओं में तैयार किया जाए। इस हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्लान, पंचायतीराज से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(समस्त योजना प्रभारी)

12. आईडब्ल्यूएमएस साफ्टवेयर के अनुसार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के विरूद्ध समायोजन/पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	स्वीकृत कार्य (संख्या में)	स्वीकृत राशि (करोडों में)	यूसी पैण्डिंग		सीसी पैन्डिंग	
			कार्य	राशि	कार्य	राशि
2014–15	15161	763.17	7189	270.84	1780	67.08
2015–16	13852	673.68	6018	197.67	779	20.79

इससे पूर्व की स्थिति वैबसाईड पर उपलब्ध है।

(वित्तीय सलाहकार)

13. विभाग की बंद पडी योजनाओं की समीक्षा हेतु सूची तैयार कर सूची का अवलोकन शासन सचिव, ग्रा.वि. से करवाकर संबंधित विभाग/अनुभाग को आवंटित की जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

14. RRLP पर नोट प्रस्तुत करने के निर्देशों के क्रम में आज ही नोट शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत करें।

(वित्तीय सलाहकार)

15. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है। अतः नवीनतम प्रगति से अवगत करावें।

(वित्तीय सलाहकार)

16. राज्यपाल अभिभाषण एवं माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा की सूचनाओं में अन्तर पाया गया। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जावे।

(योजना प्रभारी)

17. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें, जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे। थर्ड पार्टी से चर्चा कर प्रस्ताव बनावें। प्रशासनिक मद की राशि पंचायत समिति /ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित करने हेतु कार्य योजना तैयार करायी जाए। इस हेतु श्री योजना प्रभारी, अधीक्षण अभियन्ता ग्रा.वि. एवं अधीक्षण अभियन्ता पंचायतीराज की संयुक्त बैठक आयोजित कर किये जाने वाले निर्णयों से अवगत कराया जाए।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना/अधी.अभि. पं.राज, एवं ग्रा.वि)

18. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–

- डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा। (पीडी, एसएपी–II)
- शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा प्रभारी श्री योजना द्वारा की जाएगी। इसके लिए उनके द्वारा मैनपावर लिया जायेगा।
- ग्रामीण विकास योजना की निधियों से स्वीकृत कार्यो की समीक्षा (प्रभारी श्री योजना)
- एमएलए लैड में 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान करने बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पत्रावली पर मना कर दिया गया है। (पीडीएसएपी–I)

19. इन्दिरा आवास/महात्मा गांधी नरेगा/राजीविका योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने हेतु बैठक आयेाजित करा ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।

20. विधान सभा में प्रस्तुत नोटिफिकेशन आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें साथ ही समस्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी को पत्र द्वारा सूचित किया जावे।

(एसई, आईएवाई)

21. सीएसआर के लिए आयुक्तालय उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उनके पास सीधे तौर पर ऐसी कोई राशि उपलब्ध नहीं

है जिसका आवंटन विभाग या योजना के लिए किया जा सके। इस संबंध में उद्योग विभाग कम्पनियों की लिस्टिंग एवं उनके द्वारा सीएसआर हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि की जानकारी प्राप्त कर रहा है।

शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार सीएसआर में किस प्रोजेक्ट पर स्वीकृति पहले जारी की जाये और उनकी प्राथमिकता क्या क्या होगी ? सचिव महोदय से पुनः निर्धारित करवाकर उद्योग विभाग को प्रेषित किया जाये।

(पीडी एमएण्डई)

22. पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं में 4 नयी कैटेगरी जुड़वाने का आग्रह किया गया था जिसे जुडवा दिया गया है। श्री मुकेश माहेश्वरी अधीक्षण अभियन्ता, पं0राज से चर्चा कर यह निर्णय लिया गया है कि पंचायतराज की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग उनके द्वारा बनायी जा रही ई–पंचायत पोर्टल से की जायेगी। शासन सचिव महोदय के निर्णय अनुसार यह प्रकरण भविष्य में समाप्त माना जाऐ।

(पीडी,मोएवंमू)

23. विभाग में पदस्थापित लेखाधिकारी एवं लेखाकर्मियों को आईडब्ल्यूएमएस पर यूसी/सीसी की मॉनिटरिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।

(पीडी,मोएवंमू)

24. 50.00 लाख रूपये पंचायतीराज विभाग के इण्टीग्रेटेड वैब डवलपमेंन्ट के लिए इन्दिरा आवास योजना से राशि देने हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज के स्तर पर बैठक रखी जाए जिसमें शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज को शामिल किया जाए। (एसई, आईएवाई)

28/3/16

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग/महात्मां गांधी नरेगा
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना/ पंचायतीराज
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

28/3/16

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)